

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय

// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक 22 /12/2004

क्रमांक- 1037 /सी-2796/वि/नि/चार/2004 :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद द्वारा छत्तीसगढ़ पेशनर कल्याण निधि नियम, 1997 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थातः-


संशोधन

उक्त नियमों के नियम-5 के विद्यमान द्वितीय परन्तुक को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये,

अर्थातः-

“परन्तु यदि किसी मामले में उपोक्तानुसार सिफारिश नहीं की गई हो, तो ऐसे प्रत्येक मामले में सहायता गुण-दोष के आधार पर कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत की जाएगी। राज्य के बाहर उपचार के लिये सहायता केवल उन बीमारियों के लिये तथा उन चिकित्सालयों में उपचार करने पर ही दी जाएगी जो परिशिष्ट-एक में सूचीबद्ध है।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(सतीश पाण्डेय)

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

**Government of Chhattisgarh
Finance Department
Mantralaya**

NOTIFICATION

Raipur, dated /12/2004


No. 1037/C-2796/04/F/R/IV: In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes following further amendments in the Chhattisgarh Pensioners Welfare Fund Rules, 1997 namely:-

AMENDMENT

In the said rules, For the existing second proviso to rule 5, the following shall be substituted, namely:-

"Provided further that if in any case such recommendation does not exist the assistance shall be given by the executive committee on the merits of each case . The assistance for outside State Treatment shall be given only for such diseases and Hospitals as are listed in Appendix-1"

**By order and in the
name of the Governor of Chhattisgarh**



**(Satish Pandey)
Deputy Secretari
Finance Department**

प्रतिलिपि-


1. शासन के समस्त विभाग ।
2. अध्यक्ष राजस्व मण्डल, बिलासपुर ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ ।
4. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन-7, चाणक्यपुरी नई दिल्ली ।
5. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ ।
6. राज्यपाल के सचिव,राजभवन,रायपुर ।
7. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभ सचिवालय,रायपुर ।
8. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय ।
9. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग. ।
10. सचिव, छ.ग., लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर ।

11. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री,छत्तीसगढ़ शासन ।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
13. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ ।
14. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
15. सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर ।
16. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ रायपुर
17. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छ0ग0, रायपुर ।
18. आवासीय आयुक्त,छत्तीसगढ़ भवन,चाणक्यपुरी,नई दिल्ली ।
19. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर

20. समस्त सचिव,विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर ।

21. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग ।
22. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
23. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
24. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
25. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

26. राज्य सूचना अधिकारी,राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (nic) को वित्त विभाग की
वेबसाइट <http://cgfinance.nic.in> में अपलोड करने हेतु ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(एस.के.चक्रवर्ती)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग